कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक), जोधपुर

2015/00026
A/300/00026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उषा देवी / हनुमान सिंह U/S-212	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर पत्रावली आदेश हेतु नियत की जावेगी। पत्रावली वास्ते बहस प्रा-पत्र हेतु दिनांक 17/4/25 को पेश हो सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर 17/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। बहस वकील प्रार्थी/वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम, 1955 मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया गया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रा-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA, 1955 का कोई खण्डन (मौखिक अथवा लिखित) प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में वादिया/प्रार्थिया सहित अन्य काश्तकार सह-खातेदार दर्ज है। प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के अभिकथन किये गये जिसका अप्रार्थीगण द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। प्रार्थिया के वादग्रस्त आराजी की खातेदार काश्तकार है अतः भू-अभिलेख में दर्ज हिस्से अनुसार प्रथम दृष्टया मामला,	

2015/00026
A/300/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उषा देवी / हनुमान सिंह व अन्य U/S - 212 R.T.A. 1955
	सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थिया के भू-अभिलेख में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थिया के पक्ष में साबित होते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA 1955 साबित होने व सारवान होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी सं. 2, 3/1 से 3/10, 4/1 से 4/5 इस आशय की जारी है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी गांव खारीखुर्द प. हा. खारीखुर्द के खसरा सं. 44, 45, 262 एवं 264 कुल खसरे 4 में प्रार्थिया के भू-अभिलेख में दर्ज हिस्से से प्रार्थिया को बेदखल न करें व किसी किस्म भू-भाग का रहन, बेचान व हस्तांतरण न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी से कम होकर शामिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर [मुहर: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर — सत्यमेव जयते]